

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(13)राज/वाद/17

जयपुर, दिनांक 6/12/19

श्री -----
अपर लोक अभियोजक(म0उ0प्र0)
अजमेर, भरतपुर, भीलवाडा, बीकानेर
सं02, जयपुर महानगर।

विषय:- दिनांक 09 से 13 दिसम्बर 2019 तक Womens Safety पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु।

सन्दर्भ:- निदेशक राजस्थान स्टेट ज्यूडिशियल अकादमी का पत्र क्रमांक RSJA/ACY/In-service/2019/2108 दिनांक 27.11.19

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा राजस्थान ज्यूडिशियल अकादमी, जोधपुर ने Womens Safety पर दिनांक 09 से 13 दिसम्बर 2019 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित करते हुये इसमें भाग लेने हेतु लिखा है।

अतः कालम सं0 2 में वर्णित न्यायालयों में राज्य की ओर पैरवी हेतु नियुक्त कालम सं0 3 में वर्णित अपर लोक अभियोजक (म0उ0) को मनोनीत करते हुये निर्देशित किया जाता है कि उक्त 04 दिवसीय प्रशिक्षण में आवश्यक रूप से भाग लेवें साथ ही इस संबंध में आवश्यक निर्देशों व ट्रेनिंग प्रोग्राम की जानकारी हेतु राजस्थान राज्य ज्यूडिशियल अकादमी की वेबसाईट rajasthanjudicialacademy.nic.in का नियमित रूप से अवलोकन (visit) करें।

क्र0सं0	न्यायालय का नाम	कार्यरत अभियोजक का नाम	दूरभाष नं0
1	अतिरिक्त सेशन न्यायालय (म0उ0) अजमेर	श्री अशरफ बुलंद खान	9828261323 9413008411
2	अतिरिक्त सेशन न्यायालय (म0उ0) भरतपुर	श्री कुलदीप सिंह धनकर	9461462100
3	अतिरिक्त सेशन न्यायालय (म0उ0) भीलवाडा	श्रीमती संजू बापना	9214599386
4	अतिरिक्त सेशन न्यायालय (म0उ0) बीकानेर	श्री भवानी शंकर शर्मा	9386895464
5	अतिरिक्त सेशन न्यायालय (म0उ0) सं02 जयपुर महानगर	श्री नरेश गजराज	8769006000

हृ
(जगमोहन शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, राजस्थान राज्य ज्यूडिशियल अकादमी, जोधपुर को उनके पत्रांक RSJA/Acy/In-service/2019/2108 Date: 27-11-19 के क्रम में।
2. संबंधित न्यायालय।
3. प्रोग्रामर विधि विभाग।


(जगमोहन शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण